वकील वादीगण ने बहस करनी चाही। वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 28.7.23 को पेश हो।

28/7/23 पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण उपस्थित, समय अभाव के कारण आदेश नहीं लिखाया जा सका। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 3.8.23 को पेश हो।

3/8/23 पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित, वकील वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी—हुकमीचन्द रोहलानिया, आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या – वाद पत्र 41/2022

<u>अनवान प्रकरण</u>

1—छोटेखां पिता याकुब मुसलमान निवासी लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2—जेतून पिता बुन्देखां मुसलमान निवासी लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3—बशीरी पत्नि बुन्देखां मुसलमान निवासी लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4—मुबारिक पिता बुन्देखां मुसलमान निवासी लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5—मासूम पिता बुन्देखां मुसलमान निवासी लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा ———वादीगण

बनाम

1—अयुबखां पिता अनारखां मुसलमान निवासी लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2—रसीदखां पिता अनारखां मुसलमान निवासी लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3—सब्बो पुत्री अनारखां मुसलमान निवासी लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4—सेराज पुत्री अनारखां मुसलमान निवासी लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5—सलीमखां पिता अनारखां मुसलमान निवासी लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
6—सारू पुत्री अनारखां मुसलमान निवासी लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
7— हलीमा पत्नि अनारखां मुसलमान निवासी लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा ———प्रतिवादी

(वाद पत्र बाबत— कब्जेयाबी आराजी अन्तर्गत धारा 183 राज0काश्त0अधिनियम)

——0——

उपस्थितः— वकील वादी – श्री मोहम्मद वासिफखां पठान
वकील प्रतिवादीगण – एक पक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

<u>निर्णय</u>

दिनांक 03.08.2023

वादीगण के द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1–यह कि ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक लुहारिया की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2079 के खाता संख्या नया 530 में आराजी नम्बर 2359 रकबा 1.2267 हैक्टर, वादीगण के संयुक्त खातेदारी हक की है जो राजस्व रेकार्ड में वादीगण एवं अन्य खातेदारों के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज होकर काबिज हो फसल काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

2–यह कि वादीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी अधिकार की आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 ने दिनांक 25.11.2021 को नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया जिस पर वादीगण ने उन्हें पत्थरगढी करवाने के लिए कहा जिस पर प्रतिवादीगण 01 लगायत 07 वादीगण के साथ लड़ाई झगड़ा किया। जिस पर वादीगण ने पत्थरगढी हेतु न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डल के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 07/2022 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2022 की पालना में दिनांक 06.06.2022 को गिरदावर एवं पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जरीब चलाकर पत्थरगढी की गई तब वादीगण को पुख्ता जानकारी हुई कि वादीगण की आराजी नम्बर 2359 पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 ने अतिक्रमण कर लिया तथा मौके पर मौका पर्चा बनाया गया एवं पटवारी हल्का/गिरदावर द्वारा वादीगण को यह हिदायत दी गयी कि नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करवाकर कब्जा प्राप्त करें इस कारण वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत किया है।

3–यह कि वादीगण के उक्त वादपत्र में वादकारण दिनांक 25.11.2021 एवं दिनांक 06.06.2022 से उत्पन्न होकर सतत रूप से जारी है।

4–अतः वादीगण की प्रार्थना है कि वाद अनुसार कब्जेयाबी की डिक्री वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के विरूद्ध पारित कर ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लुहारिया तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 2359 रकबा 1.2267 हैक्टर में से 12 बिस्वा भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 को बेदखल कर कब्जा मीन प्रोफिट्स के वादीगण को दिलाये जाने की सादिर फरमायी जावे।

5–यह कि वादीगण का वाद दिनांक 02.08.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 23.09.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि प्रकरण एक पक्षीय होने से वादबिन्दु कायम नहीं किए जाकर एक तरफा शहादत में वादीगण के मौखिक साक्ष्य में वादी मासूम व गवाह आज़ाद पिता छोटे खां के बयान कलमबद्ध कराये। ....

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

6–वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया प्रथम की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2079 खाता संख्या नवीन 530 में दर्ज आ0नं0 2359 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की । नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2079 खाता संख्या नवीन 44 में दर्ज आ0नं0 2358 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। पत्थरगढी के प्रकरण संख्या 07/2022 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2022 की पालना में ग्राम लुहारिया की आ0नं0 2359 की पत्थरगढी दिनांक 06.06.2022 को की गई जिसका पर्चामौका पटवारी हल्का लुहारिया प्रथम एवं भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लुहारिया द्वारा तैयार किया जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की। पत्थरगढी के प्रकरण संख्या 07/2022 में ग्राम लुहारिया की आ0नं0 2359 की पत्थरगढी दिनांक 06.06.2022 को किए जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लुहारिया की ओर से पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किया जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की।

7–यह कि वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम लुहारिया में वादीगण की संयुक्त खातेदारी की आ0नं0 2359 रकबा 1.2267 हैक्टर दर्ज है। इसमें प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का कोई हक हिस्सा निहित नहीं होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 ने उक्त आराजीयात के 12 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया जिसे हटाने के लिए कहा परन्तु वह तैयार नहीं है इसकी पुष्टि श्रीमान के पत्थरगढी के प्रकरण संख्या 07/2022 में पारित आदेश की पालना में पटवारी हल्का लुहारिया प्रथम एवं भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लुहारिया के द्वारा तैयार किए गए पर्चामौका दिनांक 06.06.2022 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत कर अपने वाद को सिद्ध कराया है। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादवर्णित आराजी के 12 बिस्वा भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 से वादीगण को कब्जा दिलाना फरमावें।

8–हमने वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अद्योपान्त स्पष्ट है कि ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया प्रथम नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2079 में दर्ज आराजी नम्बर 2359 रकबा 1.2267 हैक्टर किस्म बंजड़ छोटेखां पिता याकूबखां मुसलमान 1/4, जेतून पुत्री बुन्देखां मुसलमान 1/12, फजलू पुत्र इब्राहिम मुसलमान 1/2, बशीरी पत्नि बुन्देखां मुसलमान 1/12, मुबारिक पिता बुन्देखां मुसलमान 1/24, मासूम पिता बुन्देखां मुसलमान 1/24 के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2079 में दर्ज आराजी नम्बर 2358 रकबा 0.1518 हैक्टर किस्म नहरी । अन्य आराजीयात के साथ प्रतिवादीगण अयूबखां पिता अनारखां मुसलमान 1/7, रशीदखां पिता अनारखां मुसलमान 1/7, सब्बो पुत्री अनारखां मुसलमान 1/7, रोशन पुत्री अनारखां मुसलमान 1/7, सारू पुत्री अनारखां मुसलमान 1/7, शमीमखां पिता अनारखां मुसलमान 1/7, हलीमा पत्नि अनारखां मुसलमान 1/7 के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। इन आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत

07 के नाम पर आ0नं0 2359 दर्ज नहीं है। प्रतिवादीगण के द्वारा वाद के तथ्यों का बावजूद सूचना के लिखित या मौखिक रूप से स्वयं या किसी प्लीडर के माध्यम से खण्डन प्रस्तुत नहीं किया इससे वाद में अंकित तथ्यों की मौन स्वीकारोक्ति होना जाहिर आता है।

9—वादीगण के द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात की पत्थरगढी हेतु इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 07/2022 दायर करा पत्थरगढी का आदेश प्राप्त किया। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का लुहारिया प्रथम एवं भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुहारिया के द्वारा दिनांक 06.06.2022 को पक्षकारान की मौजूदगी में पत्थरगढी कर निशानात कायम किये गये। जिसका पर्चामौका तैयार किया जिसमें अंकित किया कि आ0नं0 2359 के उत्तर—पश्चिम भाग में डोटेड लाईन से पर्चामौका में दर्शाये अनुसार 12 बिस्वा भूमि पर आ0नं0 2358 के खातेदारान का कब्जा है। अर्थात आ0नं0 2358 के खातेदारान प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 द्वारा वादीगण की खातेदारी की आराजी नं0 2359 पर बिना किसी दस्तावेज के 0.12बीघा भूमि पर अतिक्रमण पाया जाना सिद्ध होता है। वादवर्णित भूमि वादीगण की खातेदारी की होने एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का अतिक्रमण होने से वादीगण पुनः कब्जा पाने के अधिकारी है।

अतएवः—

10—अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद इस आशय का डिक्री किया जाता है कि मौजा लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुहारिया की आराजी नम्बर 2359 रकबा 1.2267 हैक्टर किस्म नहरी I के 0.12 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण अयूबखां पिता अनारखां मुसलमान , रसीदखां पिता अनारखां मुसलमान , सब्बो पुत्री अनारखां मुसलमान , सेराज पुत्री अनारखां मुसलमान , सारू पुत्री अनारखां मुसलमान , सलीमखां पिता अनारखां मुसलमान , हलीमा पत्नि अनारखां मुसलमान निवासियान लुहारिया का अतिक्रमण हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सौंपा जावे। उक्तानुसार पर्चाडिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा